कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 12251/2018 जेठा राम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.09.2021 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को कन्सीडर कर आख्यात्मक आदेश के जरिए निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन मे मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि याचिकार्थी वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दुदवा, पं.स. बालोतरा, जिला–बाडमेर में अध्यापक ग्रेड III, लेवल–2 (अंग्रेजी), के पद पर कार्यरत है, जबकि याचिकार्थी की पत्नी वर्तमान में राजकीय सेवा के अन्तर्गत शिक्षा विभाग गृह जिला–सीकर मे पदस्थापित है। याचिकार्थी के कथनानुसार याचिकार्थी का 20 वर्षीय पुत्र मंदबुद्धि रोग से ग्रसित है, जिसकी विकलांगता 69 प्रतिशत है, उसे प्रतिदिन दिमागी दौरे आते हैं, उसकी देखभाल करने के लिए अकेली पत्नी असक्षम है जिसके कारण कई परेशानियों का सामना करना पड रहा है। अतः याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पारिवारिक परिस्थितियों एवं पति–पत्नी प्रकरण (यदि पति–पत्नी दोनों राजकीय सेवा में हो तो उनको एक ही जिले (स्टेशन) मे कार्यरत किया जावें) के आधार पर बाडमेर जिले से सीकर जिले के विद्यालयो में रिक्त पद पर पदस्थापन करने की मांग की है।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनाक 23.09.2021 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम–1971 के अनुसार अध्यापक ग्रेड III का पद जिला स्तर का पद है, जिसका सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी है। रोस्टर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। अध्यापक ग्रेड III का पद जिला कैडर का होने के कारण जिला परिवर्तन कर स्थानान्तरण करने से विभाग का जिलास्तरीय रोस्टर प्रभावित होता है। अध्यापक ग्रेड III के पद जिले में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर वर्गवार एवं जिलेवार ही विज्ञापित किये जाते हैं एवं चयनित अभ्यर्थियो को जिलेवार व वर्गवार ही नियुक्ति दी जाती है। अन्य जिले में स्थानान्तरण कर जिला परिवर्तन किये जाने से जिलो में उपलब्ध पदों के विरूद्ध पदस्थापन का अनुपात असंतुलित हो जाएगा जिससे अव्यवस्था होगी तथा शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा, जो कि छात्र हित एवं विभाग के अनुकूल नहीं है।

याचिकार्थी द्वारा पति–पत्नी दोनों के राजकीय सेवा में कार्यरत होने पर दोनों को एक स्थान पर पदस्थापित किये जाने के आधार पर बाडमेर जिले से सीकर जिले में स्थानान्तरण की मांग के सम्बन्ध मे स्पष्ट किया जाता है कि शासन के पत्रांक प 17(4) शिक्षा–2/2009 पार्ट जयपुर, दिनांक 26.07.2019 के अनुसार तृतीय श्रेणी अध्यापक के स्थानान्तरण हेतु वर्तमान में शासन द्वारा पत्रांक प 5(5) प्राशि/2018 दिनांक 02.04.2018 द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश प्रभावी है, जिनमे राजकीय सेवा में कार्यरत पति–पत्नी के एक ही स्थान पर पदस्थापन के सम्बन्ध मे कोई दिशा–निर्देश अंकित नहीं है।

राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग के परिपत्र क्रमांक: प.1(1)प्र.सु./अनु.–3/2020 पार्ट जयपुर, दिनांक 18.05.2020 के बिन्दु संख्या 03 में अंकित पति–पत्नी प्रकरण के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त परिपत्र राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या अन्य भर्ती एजेंसी से चयनित अभ्यर्थियों को मण्डल/जिला आवंटन पश्चात् काउंसलिग मे वरीयता प्रदान करने के सम्बन्ध में है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक की पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में स्थानान्तरण का अधिकार सृजित नहीं होता है। कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण हेतु वर्णित परिस्थितियो का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही स्थानान्तरण किए जाते हैं। याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में पारिवारिक परिस्थितियों एवं पत्नी के राजकीय सेवा में होने के आधार पर अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु की जा रही मांग तर्कसगत एव न्यायसगत नहीं है। उक्तानुसार इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा./संस्था/एफ–2/को.के./जोध/13511/2018 दिनांकः–24/01/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा
2. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, बाडमेर
5. याचिकार्थी जेठा राम अध्यापक ग्रेड III ,लेवल–2 (अंग्रेजी), राउमावि, दुदवा, पं.स. बालोतरा, जिला–बाडमेर (रजिस्टर्ड)
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)